सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या **750** राँची, शुक्रवार

24 आश्विन, 1937 (श०)

16 अक्टूबर, 2015 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

29 सितम्बर, 2015

संख्या- 06A/**न0वि0**/AMRUT-02/2015-3544--शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन" (अमृत) नामक योजना प्रारम्भ की गई है। प्राप्त दिशानिर्देश के अनुसार, इस योजना के तहत् झारखण्ड राज्य के जनगणना 2011 के आधार पर एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले 7 शहरी निकायों को उक्त योजना के तहत् अंगीकृत करते हुये विकसित करने का लक्ष्य है।

उक्त योजना के कार्यान्वयन के क्रम में योजनायों से सम्बंधित तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन करने हेतु प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) का गठन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

1	प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग	अध्यक्ष सह मिशन निदेशक
2	प्रधान सचिव/सचिव, योजना सह वित्त विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
3	प्रधान सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
4	प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
5	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	सदस्य
6	परिवहन आयुक्त, झारखण्ड	सदस्य
7	सी0पी0एच0ई0ई0ओ0, शहरी विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्य
8	मुख्य अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	सदस्य
9	मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग	सदस्य
10	मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग	सदस्य
11	नगर निवेशक, नगर नियोजन कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग	सदस्य
12	परियोजना निदेशक (तकनीकी), जुडको लि०	सदस्य-सचिव

उपर्युक्त समिति के राज्य स्तरीय तकनीकी समिति निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व होगें:-

i. तकनीकी मानदण्डो जैसे अमृत योजना के कार्यक्षेत्र, उद्देश्य और अंतिम कार्य, आंतरिक बेंचमार्क (IBM) निर्णायक मूलभूत मानदण्डो/बोली संबंधी दस्तावेजो/मूल्यांकन मानदण्ड और भुगतान कार्यक्रम का अनुमोदन करना। इस उद्देश्य से संबंधित क्षेत्र से शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी नियम पुस्तिकाओं, दिशानिर्देशों और सलाहो पर विचार एवं डी0पी0आर0 में उसका सुनिश्चित अनुपालन करना।

ii. लचीलेपन को शामिल करना और आपदाओं से परियोजना को सुरक्षित रखना तथा यह सुनिश्चित करना कि डिजाईन में आपदा सुरक्षा इंजीनियरिंग और संरचनात्मक मानदण्ड शामिल हों।

iii. तकनीकी स्वीकृति देते समय, यह सुनिश्चित करना कि आकस्मिक निधि अथवा लागत में वृद्धि अनुमान्य में शामिल न हो और जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के सभी तकनीकी और वित्तीय

मानदण्डो का अनुमान तैयार करने, परियोजना की तकनीकी स्वीकृति, निविदा स्वीकार करने, विस्तार आदि का पालन किया जाय।

iv. तकनीकी स्वीकृति देते समय रिटर्न की आंतरिक दर (आई0आर0आर0), दोनों एफ0आई0आर0आर0 और ई0आई0आर0आर0 एवं पूंजीगत व्यय की आवर्ती लागत (आर0सी0सी0ई0) की जांच करना।

v. निविदाओं की स्वीकृति प्रदान करना।

vi. आई0आर0आर0एम0ए0 की रिपोर्टो और अन्य गुणवत्ता नियंत्रण रिपोर्टों पर सुधारात्मक कार्रवाई करना।

vii. मिशन के दिशानिर्देशिका के अनुलग्नक 6.1 में दी गई परियोजना निधि अनुरोध रिपोर्ट का विश्लेषण करना और लागत में बिना किसी वृद्धि के परियोजनाओं को समय पर पूरा होना सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करना।

viii. परिय"जना विकास एवं प्रबंधन परामर्शदाता (PDMC) नियुक्त करना।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिंह,

सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 750—50 ।